



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED

(भारत सरकार का उपक्रम)

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर

जिला: अनूपगढ़, राजस्थान — 335702

सी.आई.एन: यू74899डीएल1963जीओआई003913

(आईएसओ 9001:2015 व 14001:2015 प्रमाणित कम्पनी)

(A Government of India Undertaking)

CENTRAL STATE FARM, JETSAR

Dist. Anupgarh, Rajasthan-335702

CIN:U74899DL1963GOI 003913

(An ISO 9001:2015 & 14001:2015 Certified Company)



दूरभाष / Phone: 01498-61202,

वेबसाइट / Website: www.indiaseeds.com ईमेल / E-mail- csf.jetsar@indiaseeds.com



पत्रांक: के.रा.फा./जैत./कृषि/10-41/JF/2024-25/

दिनांक 04.01.2025

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर (राज0) में वर्ष-2024-25 में खेतों में खाली पड़ें टिब्बा एरिया के 49.20 एकड़ में भेड़-बकरी आदि चराने के लिए दिनांक 20.01.2025 को दोपहर 02:30 बजे तक ऑफलाईन माध्यम से अल्पकालीन निविदा आमंत्रित की जाती है। जो उसी दिन अपह्नन 3:00 बजे खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र का विक्रय दिनांक 20.01.2025 को दोपहर 12:30 बजे तक ही किया जायेगा। उपरोक्त कार्य के लिए निविदा प्रपत्र शुल्क 236 (200+GST 18%) व धरोहर राशि रुपये 30,000 प्रति चक (रुपये तीस हजार प्रति चक मात्र) को बैंक में RTGS/NEFT/ Online Transfer जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC code SBIN0008251, Account No. 4153 2435 884) पर देय हो, निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम एवम् शर्तें किसी भी कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर देखी जा सकती हैं।

प्रभारी उत्पादन
कृते फार्म प्रमुख

पशु चराई की नियम व शर्तें

1. राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के केन्द्रीय राज्य फार्म जैततर वर्ष 2024-25 में खाली पड़े टिब्बा एरिया में भेड़ बकरी आदि चराने के लिए निविदा सूचना आमंत्रित की गई है।
2. प्रत्येक निविदादाता को निविदा में भाग लेने से पहले सम्मिलित होने के लिए फार्म द्वारा निश्चित की गई धरोहर राशि (ईएमडी) फार्म के अकाउंट नं0 41532435884, शाखा स्टेट बैंक आफ इंडिया (SBI), बाजूवाला, आईएफसी कोड SBIN0008251 में RTGS/NEFT/online के माध्यम से जमा करनी होगी। निम्नलिखित धरोहर राशि जमा करनी होगी।
 - a. धरोहर राशि रु 30,000/- प्रति चक
3. यदि धरोहर राशि निश्चित राशी से कम जमा कराया जाता है तो उस निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा। असफल निविदादाता की धरोहर राशि को निविदादाता के लिखित आग्रह पर बिना किसी व्याज के बैंक ट्रान्सफर के माध्यम से वापस कर दिया जायेगा।
4. भेड़, बकरी चराई की अवधि 45 दिन की होगी। कार्य सतोषजनक पूर्ण होने पर अतिरिक्त माह का समय फार्म प्रमुख की अनुमति से जो राशि बनती है, वह जमा करवा कर समयावधि बढ़ाई जा सकती है।
5. कार्य स्वीकृति आदेश जारी होने के 7 दिन के अन्दर स्वीकृत क्षेत्र की समस्त राशि जमा करवानी होगी। 7 दिवस के अन्दर राशि जमा नहीं होने पर स्वीकृत क्षेत्र का ठेका स्वतः ही रद्द ही जायेगा तथा धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी, जिसकी अलग से कोई सूचना नहीं भेजी जायेगी।
6. ठेका स्वीकृत होने के बाद चराई की अवधि निविदा में प्रस्तावित किये गये क्षेत्रफल (एकड़ में) के अनुसार रहेगी। परन्तु प्रदान की गई अवधि में सफल निविदादाता को 15 दिवस की अवधि के अन्तराल पर संबंधित चक प्रभारी व खण्ड प्रभारी से कार्य संतोषजनक किया जा रहा है कि टिप्पणी करवा कर इस कार्यालय में प्रस्तुत करनी होगी। जहाँ खाली एरिया हो केवल वहीं चराना है। चराई का समय सुबह 6.00 बजे से साय 6.00 बजे तक का होगा। बीजाई करने वाले एरिया में तुरन्त पशु हटाने होंगे।
7. खण्डवार निविदा में प्रस्तावित किये गये क्षेत्रफल में केवल भेड़ बकरी ही चराने हेतु क्षेत्र दिया जायेगा। यदि निविदा में प्रस्तावित किये गये क्षेत्रफल के अतिरिक्त क्षेत्रफल में व भेड़ बकरी के अलावा अन्य पशु चराते पाये गये तो धरोहर राशि में से नुकसान की भरपाई की जायेगी तथा ठेका भी रद्द कर दिया जायेगा।
8. चराई का कार्य खण्ड प्रभारी । चक प्रभारी के निर्देशानुसार ही करना होगा। तथा कार्य आदेश के अनुसार ही अनुमति वाले क्षेत्रों में ही चराई का कार्य करवाना होगा। प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराई करते पाये जाने पर वेका रद्द कर दिया जाएगा।
9. भेड़-बकरी चराने के लिए साथ आने वाले व्यक्ति फार्म के किसी कर्मचारी, मजदूर के साथ दुर्व्यवहार या झगड़ा नहीं करेगा, ऐसा करने पर ठेका रद्द कर दिया जायेगा। फार्म क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हथियार जैसे बल्लम, आला, बंदूक व पिस्तोल आदि की अनुमति नहीं होगी।
10. निविदादाता ठेके को अवधि के दौरान किसी भी प्रकार का जान-माल का नुकसान होता है, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
11. निविदादाता ठेके की अवधि के दौरान शिकार करने की सख्त मनाही है। ऐसा करने पर ठेका रद्द करने के साथ-साथ कानूनी कार्यवाही भी की जायेगी, जिसके लिए वह स्वयं जिम्मेवार होगा।
12. खालों, नहर के पानी को क्षति नहीं पहुंचायेगा। ऐसा होने पर ठेका रद्द कर, धरोहर राशि जब्त कर ली जायेगी।
13. ठेकेदार को भेड़-बकरी चराने वाली के नाम व पते सम्बन्धित एक प्रभारी व खण्ड प्रभारी की जमा करवाने होंगे।
14. ठेकेदार के भेड़-बकरी अथवा चरवाहों द्वारा फार्म में किसी प्रकार की बिजाई एवं अन्य चल अथवा अधार सम्पत्ति को कोई नुकसान पहुंचाने पर उसके होने की राशि ठेकेदार से भरपाई की जावेगी।
15. ठेकेदार को पशुओं की बराई के दौरान नए रोपित/किसी भी प्रकार के पौधों का विशेष ध्यान रखना है अगर ठेकेदार के पशुओं/भेड़ -बकरियों द्वारा नये लगाये गये पौधों को नुकसान पहुंचाया गया तो पौधों की कीमत रोपित पर आई खर्च की वसूली संबंधित ठेकेदार से की जाएगी, तथा फार्म सम्पत्ति जैसे खेत में पड़े अनाज, मशीनरी (पीयोट, स्पंकलर, ट्यूबवैल) इत्यादी के नुकसान किये जाने पर उसकी भरपायी संबंधित ठेकेदार से की जाएगी। संबंधित ठेकेदार पूर्ण रूप से जिम्मेदार होगा।

16. ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति द्वारा पशुओं द्वारा कराई गई जबरन या चोरी से चराई को रोकने का स्वयं जिम्मेवार होगा, इसके लिए फार्म की कोई जिम्मेवारी नहीं होगी एवं किसी विवाद के लिए ठेकेदार स्वयं जिम्मेवार होगा। ठेके की निर्धारित तिथि के समाप्त होने के उपरांत चराई करवाने, प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराई करवाने पर, किसी भी फार्म प्रक्षेत्र पर जबरन चराई करते पाये जाने पर घरोहर राशि जप्त कर ली जाएगी।
17. इसके साथ-साथ उचित कार्यवाही भी की जाएगी। चराई के लिए कृषि अधिकारी द्वारा आदेश जारी किया जायेगा।
18. फार्म के किसी अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, चक प्रभारी व कर्मचारी के मांगने पर धराई करने वाले को कपि कार्यालय से जारी आदेश की प्रति दिखानी होगी। बिना आदेश के पशु चराई को अवैध माना जायेगा, जिसके लिए उसके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जायेगी।
19. जिस प्रक्षेत्र में जुताई व बवाई की जरूरत होगी, उस खेल की चराई की पर्ची रह कर दी जायेगी। क्षेत्र को जोलने से पूर्व दो दिन पहले बता दिया जायेगा।
20. चराई बिना कारण बताये निदेशक फार्म दद्वारा रह की जा सकती है। चराई का ठेका उसी व्यक्ति को दिया जायेगा जिसका चाल चलन सही व नियम की काली सूची में न हो, काली सूची वाले व्यक्ति अथवा परिवारिक सदस्य (पत्नी व पुत्र) को भी ठेका नहीं दिया जायेगा।
21. यदि चराई पर दिये प्रक्षेत्र फसल की बुवाई व जुताई के लिए उसमें फार्म द्वारा पानी भरवा दिया जाता है तो उसके बदले में न तो दूसरा क्षेत्र चराई के लिए दिया जायेगा और न ही कोई भुगतान देय होगा तथा इस पर निविदादाता की किसी भी मांग आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
22. इस ठेके में यदि कोई टैक्स लगता है तो उसे ठेकेदार को देना होगा तथा ठेकेदार को आयकर विभाग से जारी पेन नं. की प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
23. ठेकेदार को रुपये 500/- का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा।
24. सफल निविदादाता द्वारा एक हरफनामा जो कि नोटेरी दद्वारा तस्दीक किया गया हो। इस आशय का प्रस्तुत करना होगा जिसमें वर्णित हो कि उक्त ठेकेदार को फार्म अथवा अन्य संस्था द्वारा काली सूची अथवा अवांछित सूची में जापित नहीं किया गया हो।
25. यदि किसी भी शर्त या मामले के कारण एनएससी और दूसरी पार्टी के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है. ती दोनी पक्ष इसे आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है, तो यह समय समय पर संशोधित किए गए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधानों के तहत मुद्दों को हल करने के लिए पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत, दोनों पक्षों की सहमति से राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड के अध्यक्ष-सह-प्रबंधक निर्देशक इस मुद्दे को हल करने के लिए एकमात्र मध्यस्थ नियुक्त करेंगे और दोनों पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। कानून के न्यायालय में जाने से पहले पक्ष मध्यस्थता के माध्यम से इस विवाद को हल करने के लिए बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जाएगी। न्याय क्षेत्राधिकार दिल्ली की अदालत होगा।

उपरोक्त सभी शर्तें क्र.सं. 1 से 25 तक मैंने पढ़ ली, सून ली मुझे सभी शर्तें मंजूर हैं। मैं निर्धारित नियम शर्तों के अनुसार ही कार्य करूंगा।

ठेकेदार के हस्ताक्षर

अल्पकालीन निविदा सूचना

वर्ष-2024-25 में खण्ड-1 में खाली पड़े टिब्बा एरिया में भेड़ बकरी को चराई करने बाबत निम्न
दर प्रति एकड़ प्रस्तुत कर रहा हूँ जो कि फार्म में जमा करूंगी/करुंगी।

क्र. सं.	खण्ड	चक	मुरब्बा न	क्षेत्रफल (एकड में)	दर प्रति माह (रूपये में)
1	1	3 BGD	156/364	4.20	
			155/364	5.60	
			154/364	6.00	
			152/365	3.20	
			156/363	3.00	
			155/363	4.00	
			154/363	4.20	
			156/364	4.20	
			150/364	3.60	
			150/365	3.20	
			150/366	4.00	
			150/367	4.00	
Total				49.20	

* क्षेत्रफल (एकड़ में):- खण्ड 1 में खाली पड़े टिब्बा एरिया का मुरख्बावार विवरण (जिसमें भेड़ बकरी चराई का कार्य किया जाना है।)

कार्य की अवधि:- 45 दिन

ठेकेदार के हस्ताक्षर

नाम:-.....

पिता का नाम:-.....

गांव व पोस्ट:-.....

जिला.....

मो.नं.-.....